राजस्थान सरकार
वित्त (मार्गोपाय) विभाग

क्रमांक प.16(1)वि.मा./2023 जयपुर, दिनांक 19 मार्च, 2024

अधिसूचना

भारत निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट ECI/PN/23/2024 दिनांक 16.03.2024 तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान जयपुर की अ.शा. टीप क्रमांक प.8(1)(23)निर्वा/2024/2397 दिनांक 17.03.2024 के द्वारा राज्य में लोकसभा के आम चुनाव दो चरणों में क्रमशः दिनांक 19.04.2024 (शुक्रवार) एवं 26.04.2024 (शुक्रवार) को होना अधिसूचित किया गया है। इस सन्दर्भ में भारत सरकार के गृह मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 20/25/56 पब/1 दिनांक 8 जून, 1957 के साथ पठित परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 (1881 का अधिनियम 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण के अधीन राजस्थान के राज्यपाल एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि 1– प्रथम चरण मतदान के लिए दिनाक 19.04.2024 (शुक्रवार) को गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर–ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली–धौलपुर, दौसा एवं नागौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में तथा 2. द्वितीय चरण मतदान के लिए दिनाक 26.04.2024 (शुक्रवार) को टोंक–सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमन्द, भीलवाड़ा, कोटा एवं झालावाड़–बारां निर्वाचन क्षेत्रों में (सलग्न सूची) में स्थित कार्यालयों में परक्राम्य लिखित अधिनियम (NI Act) 1881 के तहत मतदान दिवस को अवकाश रहेगा, ताकि उक्त तिथियों को मतदाता अपने मताधिकार (वोट) का उपयोग कर सकें।

श्री प्रकाश सक्सेना 27-3-24

16.149 27/3/24

राज्यपाल की आज्ञा से,

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है–

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. सचिव, भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय (आर्थिक मामलात विभाग) बैंक प्रभाग, नई दिल्ली।
3. प्रमुख सचिव, राज्यपाल सचिवालय, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राजस्थान।
5. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री अभाव अभियोग प्रकोष्ठ, राजस्थान, जयपुर।
6. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
7. प्रधान महालेखाकार (लेखा एव हक), राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
9. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
10. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
11. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक/मुम्बई/नागपुर/ दिल्ली/जयपुर।
12. राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
13. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।

C:\2004\chowhari\elec.doc

राजस्थान सरकार

वित्त (मार्गोपाय) विभाग

क्रमांक प.16(1)वि.गा./2023 जयपुर, दिनांक 22 मार्च, 2024

अधिसूचना

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान की अ.शा.टीप प.8(2)(1)निर्वा/2024/2332 दिनांक 16.03.2024 द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट ECI/PN/24/2024 दिनांक 16.03.2024 को सन्दर्भित करते हुये 165– बागीदोरा (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए उप चुनाव दिनांक **26.04.2024 (शुक्रवार)** को होना अधिसूचित किया गया है।

इस सन्दर्भ में भारत सरकार के गृह मन्त्रालय की अधिसूचना सख्या 20/25/56 प.व./1 दिनांक 8 जून, 1957 के साथ पठित परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का अधिनियम 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण के अधीन राजस्थान के राज्यपाल एतदद्वारा घोषणा करते हैं कि 165- बागीदोरा (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए उप-चुनाव मतदान के दिवस दिनांक **26.04.2024 (शुक्रवार)** को 165– बागीदोरा (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र स्थित कार्यालयो में पराक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) 1881 के तहत अवकाश रहेगा ताकि उन क्षेत्रो के मतदाता मतदान कर सकें।

श्री प्रकाश सक्सेना
27-3-24

राज्यपाल की आज्ञा से,

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित है–

1 मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, जयपुर।
2 सचिव, भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय (आर्थिक मामलात विभाग) बैंक प्रभाग, नई दिल्ली।
3 प्रमुख सचिव, राज्यपाल सचिवालय, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राजस्थान।
5 प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री अभाव अभियोग प्रकोष्ठ, राजस्थान, जयपुर।
6. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
7. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
9. सम्बन्धित संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
10. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
11. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक/मुम्बई/नागपुर/ दिल्ली/जयपुर।
12. राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
13. सम्बन्धित जिला कलक्टर, राजस्थान।
14. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर (पाच प्रतियों सहित)।
15 अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में अधिसूचना के प्रकाशन हेतु।